



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

हरिद्वार-249404

संख्या:- 259 / 19 / डी०आर०(स०नि०) / सेवा-2 / 2021-22

दिनांक: 09 अगस्त, 2024

सफाई निरीक्षक परीक्षा-2023 अनर्हता सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत सफाई निरीक्षक परीक्षा-2023 के विज्ञापन दिनांक 08 अगस्त, 2023 के क्रम में मुख्य लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन दिनांक 03 दिसम्बर, 2023 को किया गया था। उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों से विज्ञप्ति संख्या-294, दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों के सापेक्ष अभिलेख/प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 तक प्राप्त किये गये। ऑनलाइन आवेदन में किये गए दावों के समर्थन में उपलब्ध कराये गए प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की सन्निरीक्षा के उपरान्त मा० आयोग द्वारा प्रश्नगत परीक्षा हेतु **दिनांक 10 अप्रैल, 2024** को अनर्ह सूची एवं अधिमानी अर्हता विषयक सूची के संबंध में अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए **दिनांक 25 अप्रैल, 2024** तक समय प्रदान किया गया, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों/अभिलेखों का पुनः विषय-विशेषज्ञों से परीक्षण कराया। परीक्षणोपरांत सन्निरीक्षा के क्रम में मा० आयोग द्वारा निम्न सूची के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार कॉलम में अंकित कारणों के आधार पर अनर्ह किया गया है:-

| S N | Roll No | Name | अन्य वांछनीय अर्हता (समूह 'ग' पद हेतु) | अनर्हता का कारण |
|-----|---------|-----------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 900096 | DIMPLE | हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट उत्तराखण्ड राज्य से उत्तीर्ण | <p>1. विज्ञापन की शर्तानुसार प्रश्नगत पद की <u>अनिवार्य शैक्षिक अर्हता बी०एस०सी</u> तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से <u>हाईजीन/सेनीटेशन/सैनेटरी इंस्पेक्टर/हैल्थ सैनेटरी इंस्पेक्टर</u> में कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा है।</p> <p>2. अभ्यर्थी की बी०एस०सी० अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर की अंकतालिका में परीक्षा परिणाम घोषित होने की <u>तिथि 13.09.2023</u> अंकित है, जो कि विज्ञापन के सापेक्ष <u>अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने की अंतिम तिथि 28.08.2023</u> के पश्चात् की है।</p> <p>अतः विज्ञापन की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता— बी०एस०सी० निर्धारित तिथि तक धारित न करने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया है।</p> |
| 2 | 900168 | AYOUSH DHASMANA | हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट उत्तराखण्ड राज्य से उत्तीर्ण | <p>1. विज्ञापन की शर्तानुसार प्रश्नगत पद की <u>अनिवार्य शैक्षिक अर्हता बी०एस०सी</u> तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से <u>हाईजीन/सेनीटेशन/सैनेटरी इंस्पेक्टर/हैल्थ सैनेटरी इंस्पेक्टर</u> में कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा है।</p> <p>2. अभ्यर्थी की बी०एस०सी० अंतिम वर्ष की अंकतालिका में परीक्षा परिणाम घोषित होने की <u>तिथि 11.09.2023</u> अंकित है, जो कि विज्ञापन के सापेक्ष <u>अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने की अंतिम तिथि 28.08.2023</u> के पश्चात् की है।</p> |

| S N | Roll No | Name | अन्य वांछनीय अर्हता (समूह 'ग' पद हेतु) | अनर्हता का कारण |
|-----|---------|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | अतः विज्ञापन की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता— बी0एस0सी0 निर्धारित तिथि तक धारित न करने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया है। |
| 3 | 900183 | UTTAM SINGH PARIHAR | ऑनलाइन आवेदन में हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट उत्तराखण्ड राज्य से उत्तीर्ण होने का दावा। | <p>1. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तराखण्ड राज्य से उत्तीर्ण होने का दावा किया गया है, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा उक्त परीक्षा मध्यप्रदेश राज्य से उत्तीर्ण की गयी है।</p> <p>2. इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में अन्य बिन्दुओं में उल्लिखित कोई शर्तों का दावा नहीं किया गया है।</p> <p>अतः विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता धारित न करने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया है।</p> |
| 4 | 900280 | SHUBHAM KUMAR | ऑनलाइन आवेदन में हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट उत्तराखण्ड राज्य से उत्तीर्ण होने का दावा। | <p>1. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता के अंतर्गत हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तराखण्ड राज्य से उत्तीर्ण होने का दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष केवल हाईस्कूल परीक्षा उत्तराखण्ड राज्य से उत्तीर्ण की गयी है, जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तरप्रदेश राज्य से उत्तीर्ण की गयी है। सूच्य है कि समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता के अनुसार हाईस्कूल व इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाएं उत्तराखण्ड राज्य उत्तीर्ण होना आवश्यक है।</p> <p>2. इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में अन्य बिन्दुओं में उल्लिखित कोई शर्तों का दावा नहीं किया गया है।</p> <p>अतः विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता धारित न करने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया है।</p> |
| 5 | 900288 | RAJAT KUMAR | ऑनलाइन आवेदन में हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट उत्तराखण्ड राज्य से उत्तीर्ण होने का दावा। | <p>1. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तराखण्ड राज्य से उत्तीर्ण होने का दावा किया गया है, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा उक्त परीक्षा उत्तरप्रदेश राज्य से उत्तीर्ण की गयी है।</p> <p>2. इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में अन्य बिन्दुओं में उल्लिखित कोई शर्तों का दावा नहीं किया गया है।</p> <p>अतः विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की</p> |

| S N | Roll No | Name | अन्य वांछनीय अर्हता (समूह 'ग' पद हेतु) | अनर्हता का कारण |
|-----|---------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता धारित न करने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया है। |
| 6 | 900378 | SHUBHAM PAL | ऑनलाइन आवेदन में हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट उत्तराखण्ड राज्य से उत्तीर्ण होने का दावा। | <p>1. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तराखण्ड राज्य से उत्तीर्ण होने का दावा किया गया है, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा उक्त परीक्षा उत्तरप्रदेश राज्य से उत्तीर्ण की गयी है।</p> <p>2. इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में अन्य बिन्दुओं में उल्लिखित कोई शर्तों का दावा नहीं किया गया है।</p> <p>अतः विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता धारित न करने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया है।</p> |
| 7 | 900384 | ASHU CHAUDHARY | 1.ऑनलाइन आवेदन में हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट उत्तराखण्ड राज्य से उत्तीर्ण होने का दावा। 2. ऑनलाइन आवेदन में बिन्दु संख्या—5(2) | <p>1. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता के अंतर्गत हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तराखण्ड राज्य से उत्तीर्ण होने का दावा किया गया है, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा उक्त परीक्षा उत्तरप्रदेश राज्य से उत्तीर्ण की है।</p> <p>2. इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन में बिन्दु संख्या—5(2) के दावे के सापेक्ष नगर निगम, देहरादून के वार्ड सं0—76 के पार्षद से जारी आवास प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन में बिन्दु संख्या—5(2) के दावे के सापेक्ष स्थायी निवास प्रमाण—पत्र पत्र वांछित है।</p> <p>अतः विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अनिवार्य वांछनीय अर्हता धारित न करने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया है।</p> |
| 8 | 900397 | ASHUTOSH SANDILYA | ऑनलाइन आवेदन में हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट उत्तराखण्ड राज्य से उत्तीर्ण होने का दावा। | <p>1. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तराखण्ड राज्य से उत्तीर्ण होने का दावा किया गया है, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा उक्त परीक्षा उत्तरप्रदेश राज्य से उत्तीर्ण की गयी है।</p> <p>2. इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में अन्य बिन्दुओं में उल्लिखित कोई शर्तों का दावा नहीं किया गया है।</p> <p>अतः विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता धारित न करने के</p> |

| S N | Roll No | Name | अन्य वांछनीय अर्हता (समूह 'ग' पद हेतु) | अनर्हता का कारण | | |
|-----|---------|------------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | | कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया है। | | | |
| 9 | 900443 | AMIT JOSHI | हाइस्कूल तथा इंटरमीडिएट उत्तराखण्ड राज्य से उत्तीर्ण | 1. विज्ञापन की शर्तानुसार प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता बी0एस0सी तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाईजीन/सेनीटेशन/सेनेटरी इस्पेक्टर/हैल्थ सेनेटरी इस्पेक्टर में कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा है। 2. अभ्यर्थी द्वारा बी0एस0सी0 के स्थान पर बी0 फार्म की उपाधि धारित की गयी है, जो कि विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अनुरूप नहीं है। अतः विज्ञापन की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता बी0एस0सी0 धारित न किये जाने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया है। | | |

अभ्यर्थी उपरोक्त अनर्हता सूची के संबंध में यदि कोई आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं, तो इस संबंध में साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404 के कार्यालय को **दिनांक 16 अगस्त, 2024** के सां�्य 06:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से (**कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार**) अथवा डाक/अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी अपने प्रत्यावेदन ई-मेल आई0डी0 **sewatwo2@gmail.com** पर उक्त निर्धारित तिथि तक प्रेषित कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

Sd/-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।